

2026:AHC:53341

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9668/2026

आमिर खान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: सुनील कुमार तिवारी

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. याची द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है:-

“(i) परमादेश की प्रकृति का एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 144 के अंतर्गत वाद संख्या 01704 वर्ष 2019 (कम्प्यूटर वाद संख्या टी201911730501704 (मेजर अली बनाम इस्लाम एवं अन्य) पर, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करे और उसका निर्णय करे; तथा आगे यह भी निर्देश दिया जाए कि वाद के निस्तारण तक, जो कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर यथाशीघ्र किया जाना है, संबंधित पक्ष यथास्थिति बनाए रखें।”
3. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वाद काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र तथा अनिवार्य रूप से तीन माह की अवधि के भीतर करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी, हापुड़, मेरठ मंडल, मेरठ को जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.